न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

शिकायत विविध वाद संख्या–25 / 2017–18

राजेन्द्र साह बनाम राज्य एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
16/5/18	**आदेश**	

16/5/18

आदेश

इस वाद की कार्यवाही लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटना के ज्ञापांक 4293 दिनांक 21.08.2017 से प्राप्त श्री राजेन्द्र साह, ग्राम+पो0–एनखाँ, थाना–दुल्हिनबाजार, जिला–पटना के परिवाद सं0 428110125071701113 के आधार पर आरंभ की गयी।

इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के पश्चात उभय पक्ष को नोटिस की गयी। आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया। विपक्षी रजन्ती देवी एवं सुनैना देवी, पति बैजु साव, ग्राम–रौनियाँ, थाना–भगवानगंज, जिला–पटना को निबंधित डाक से भेजी गयी, नोटिस वापस होने के पश्चात दिनांक 22.01.2018 के राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के बाद भी विपक्षी रजन्ती देवी एवं सुनैना देवी उपस्थित नहीं हुई। फलतः आज आवेदक को सुनकर आदेश पारित किया जा रहा है।

आवेदक का कहना है कि :

(1) जवित्री देवी, पति लक्ष्मण साव, ग्राम–रौनिया, पो0–बारा, थाना–भगवानगंज, जिला–पटना के नाम से मसौढ़ी अंचल के रौनियाँ मौजा अंतर्गत 1.35$\frac{1}{2}$एकड़ के लिए जमाबंदी सं0 11 कायम थी।

(2) दाखिल खारिज वाद सं0 159 / 2009–10 के द्वारा जवित्री देवी की जमाबंदी को खारिज कर विपक्षी रजन्ती देवी एवं सुनैना देवी के नाम से जमाबंदी सं0 07 कायम कर दी गयी।

(3) जमाबंदी पंजी में छेड़–छाड़ कर रजन्ती देवी एवं सुनैना देवी की जमाबंदी कायम कर दी गयी है, जो अवैध है।

(4) रजन्ती देवी एवं सुनैना देवी के नाम से कायम जमाबंदी सं0 07 को रद्द करते हुए जवित्री देवी की जमाबंदी सं0 11 को पूर्ववत रखने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक के द्वारा जवित्री देवी, पति लक्ष्मण साव की जमाबंदी सं0 11 की जमाबंदी पंजी की छाया प्रति दाखिल की गयी है। जमाबंदी पंजी पर जवित्री देवी एवं लक्ष्मण साव के नाम को घेरकर रजन्ती देवी वो सुनैना देवी, पति बैजु साव लिखा गया है। परिवर्तन के लिए प्राधिकार कॉलम में नामान्तरण के द्वारा केस सं0 159 के अनुसार जमाबंदी सं0 07 पर दर्ज किया गया अंकित है। चूंकि जमाबंदी पंजी पर वाद संख्या अंकित है। अतः

प्रथम दृष्टया रजन्ती देवी एवं सुनैना देवी की जमाबंदी को अवैध नहीं कहा जा सकता है। आवेदक यदि दाखिल खारिज वाद सं0 159 / 2009–10 के आदेश से क्षुब्ध है तो उन्हें उक्त आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मसौढ़ी के न्यायालय में अपील दायर करनी चाहिए थी।

चूँकि यह मामला वर्ष 2009–10 का है। दाखिल खारिज अपील दायर करने में काल बाध्यता का प्रश्न उठेगा। अतः अंचल अधिकारी, मसौढ़ी को आदेश दिया जाता है कि वे निम्न बिन्दुओं पर जाँच करना सुनिश्चित करें।

1. दाखिल खारिज वाद सं0 159 / 2009–10 का मूल अभिलेख निकाल कर पंजी–2 से मिलान कर लें कि वास्तव में वाद सं0 159 / 2009–10 के अन्तर्गत रजन्ती देवी एवं सुनैना देवी, पति बैजु साव के नाम से नामांतरण की स्वीकृति दी गयी थी या नहीं।

2. प्रश्नगत भूखण्ड का स्थल निरीक्षण कर के यह देखें कि प्रश्नगत भूखण्ड पर अभी किसके दखल कब्जा में है।

अंचल अधिकारी, मसौढ़ी जांच में यदि पाते हैं कि जमाबंदी पंजी में छेड़–छाड़ कर सुनैना देवी एवं रजन्ती देवी की जमाबंदी कायम की गयी है तथा प्रश्नगत भूखण्ड पर उनका दखल–कब्जा नहीं है तो रजन्ती देवी एवं सुनैना देवी के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने का प्रस्ताव भेजें।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अंचलाधिकारी, मसौढ़ी को आवश्यक कायार्थ भेजें। आदेश की प्रति आवेदक को भी दें।

लेखापित एवं संशोधित।

16/5/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

16/5/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना